रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1182] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939
No. 1182] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2017

का. आ. 1342(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और वह आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, (जिसे इसके पश्चात ''विभाग'' कहा गया है) देशभर में अनुमोदित जिलों में जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र (जिसे इसमें इसके पश्चात 'स्कीम' कहा गया है) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। स्कीम के अधीन फायदों एवं सेवाओं का लाभ लेने के लिए निबंधन और शर्तों सहित विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं;

और, स्कीम निचले स्तर पर दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) के लिए व्यापक पुनर्वास सेवाओं की व्यवस्था करती है और यह पुनर्वास व्यावसायिकों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जिला स्तर पर अवसंरचना सृजन एवं क्षमता निर्माण को भी सुकर बनाती है। स्कीम विहित जनशक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात कृत्यकारी कहा गया है) को मानदेय के भुगतान के लिए जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराती है। व्यष्टिक फायदाग्राहियों को उपलब्ध कराई गई व्यापक पुनर्वास सेवाओं और पुनर्वास पर जागरूकता उत्पन्न करने वाली सेवाओं और कृत्यकारियों को उपलब्ध कराए गए पुनर्वास व्यावसायिकों के प्रशिक्षण को स्कीम के अधीन सामूहिक रूप से फायदे के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा और स्कीम के अधीन जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों में कार्यरत कृत्यकारियों और व्यष्टिक फायदाग्राहियों को सामूहिक रूप से फायदाग्राहियों के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;

और, पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से अंतर्वहित व्यय सम्मिलित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात :—

1. (1) स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है किन्तु स्कीम के अधीन जो फायदे प्राप्त करने के इच्छुक हैं को 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन दर्ज कराना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है तो ऐसे व्यष्टि को आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों) की सूची यूआईडीएआई की वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है, का दौरा कर सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण का संबद्ध विभाग जो किसी व्यष्टि से आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं सुनिश्चित कर सकेंगे और जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराए हैं और उस दशा में जहां उनके आस–पास में कोई नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है वहां स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण का संबद्ध विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकेगा।

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि फायदाग्राही को, आधार संख्यांक समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात :–

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फायदाग्राहियों को यथालागू दिव्यांगजन प्रमाणपत्र; और

(ग) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एकः

(i) मतदाता पहचान पत्र; या
(ii) स्थायी खाता संख्यांक (पेन)कार्ड; या
(iii) पासपोर्ट; या
(iv) राशन कार्ड; या,
(v) कर्मचारी का सरकारी पहचान–पत्र; या
(vi) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या
(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगजन के लिए फोटो पहचान पत्र; या
(viii) स्कूल के हैडमास्टर/प्रधानाचार्य द्वारा जारी दिव्यांग विद्यार्थी के फोटो सहित पहचान पत्र, जिस पर स्कूल की मौहर लगी हो; या
(ix) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
(x) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी सदस्य के फोटो सहित पहचान पत्र या
(xi) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विशिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे उपलब्ध करने के उद्देश्य से राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यन्वयन के संबद्ध भारसाधक विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं अर्थात–

(क) स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में आवेदकों या फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से व्यष्टिक सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 30 जून, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। स्थानीय उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख) यदि ब्लॉक या तालुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में समर्थ नहीं होते हैं, तो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए संबद्ध विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वह सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और फायदाग्राहियों से, उनके नाम, पते, मोबाईल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उपपैरा

(3) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए संबद्ध विभाग या जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों के पदधारियों से उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करा सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं 22–36(53)/2017–डीडीआरसी]

डौली चक्रबर्ती, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April , 2017

S.O.1342 (E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment in the Government of India is implementing the Scheme of District Disability Rehabilitation Centres (hereinafter referred to as the Scheme) in the approved districts across the country. The detailed guidelines including the terms and conditions of availing of benefits and services under the Scheme are available on the website www.disabilityaffiars.gov.in;

And whereas, the Scheme provides for comprehensive rehabilitation services to the persons with disabilities (hereinafter referred to as individual beneficiaries) at the grassroot level and also it facilitates creation of infrastructure and capacity building at the district level for awareness generation on rehabilitation and training of rehabilitation professionals. The Scheme provides Grant-in-Aid to the District Disability Rehabilitation Centres for payment of honorarium to the prescribed manpower (hereinafter referred to as the functionaries). The comprehensive rehabilitation services provided to the individual beneficiaries and the services of awareness generation on rehabilitation and the training of rehabilitation professionals provided to the functionaries shall collectively be referred as benefits under the Scheme and the individual beneficiaries and the functionaries working in the District Disability Rehabilitation Centres under the Scheme shall collectively be referred to as the beneficiaries;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Social Justice and Empowerment hereby notifies the following, namely:-

1.(1) An Individual eligible for availing benefits under the scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing of the benefits under the Scheme is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30.06.2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department concerned for empowerment of persons with disabilities (Divyangjan) in the State Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Scheme which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhar enrolment facilities for the Beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhar and in case there is no Aadhar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department concerned for empowerment of persons with disabilities (Divyangjan) in the State Government or Union territory Administration is required to provide Aadhar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and

(b) Disability certificate as applicable to the beneficiaries, issued by a competent authority; and

(c) Any of the following documents:

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Employee Government ID Card; or

(vi) Bank or Post Office Passbook with Photo

(vii) Photo identity card issued by competent authority for persons with disabilities; or

(viii) Certificate of identity having photo of such student issued by a Headmaster or Principal of School under official seal of the school; or

(ix) Driving License issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(xi) Any other document as specified by the State Government or Union territory Administration;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the Beneficiaries, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices through District Disability Rehabilitation Centres shall be given to the beneficiaries to meke them aware of the requirement of Aadhar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 30.06.2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll for Aadhar due to non-availability of Aadhar enrollment centres in the nearby vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, Department concerned for empowerment of persons with disabilities (Divyangjan) in the State Government or Union territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the officials of the concerned Department or District Disability Rehabilitation Centres (DDRCs) or through the web portal provided for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories Administration except the States of Assam, Meghalaya and Jammu & Kashmir.

[F.No. 22-36(53)/2017-DDRC]

DOLLY CHAKRABARTY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2017.04.28 15:29:13 +05'30'